



आदेश

निदेशालय के पत्र कं० टी-4/पी.एम.एस/एस०सी०/2015-16/1057-58 दिनांक 12.6.2015 द्वारा APBS स्कीम के तहत पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की वर्ष 2014-15 की बकाया राशि व आगामी वर्षों में अदायगी हेतु नियुक्त किये गए सैन्ट्रल डी०डी०ओ०/नोडल अधिकारी श्री भूपेन्द्र पाल, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैथल के स्थान पर श्री राजपाल यादव, सहायक निदेशक लेखा (मुख्यालय पर) को तुरन्त प्रभाव से सैन्ट्रल डी०डी०ओ०/नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 26.11.2015

एस०के०गोयल IAS,
महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृष्ठांकन कं० टी-4/पी.एम.एस/एस.सी./2015-16/ 2160 दिनांक

2/12/15

उपरोक्त की एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. कार्यालय प्रधान, महालेखाकार हरियाणा (लेखा एण्ड आडिट)।
2. श्री राजपाल यादव, सहायक निदेशक (लेखा) सैन्ट्रल डी०डी०ओ०/नोडल अधिकारी, मुख्यालय पर। उन्हें यू.आई.डी./ए.आई, आर०ओ०, चण्डीगढ़ द्वारा जारी की गई हिदायतों की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि संलग्न हिदायतों अनुसार उक्त स्कीम में छात्रवृत्ति की अदायगी करने हेतु अपने स्तर पर कार्यवाही पूर्ण करे और सभी जिलों में स्थित राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं का पूर्ण डाटा MS Excel Sheet में सम्बंधित संस्थानों से (प्रशासकीय स्वीकृति सहित) लेकर पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की अदायगी करना सुनिश्चित करें।
3. श्री भूपेन्द्र पाल, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैथल।
4. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला) राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त स्कीम का पूर्ण डाटा पहले भेजी गई हिदायतों के अनुसार MS Excel Sheet में छात्र/छात्रा के छात्रवृत्ति से सम्बंधित सभी पूर्ण दस्तावेज (सत्यापित) करके अपने जिले के नोडल अधिकारी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी संस्थान का मुखिया उक्त कार्य में सहयोग नहीं करेगा तो उस द्वारा की गई कोताही का वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
5. जिला स्तर के सभी नोडल अधिकारी अपने जिले में स्थित राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) द्वारा उपलब्ध करवाया गया पूर्ण डाटा पहले भेजी हिदायतों के अनुसार MS Excel Sheet को वैरीफाई (सत्यापित) करके सैन्ट्रल डी०डी०ओ०/नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक लेखा (मुख्यालय पर) को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
6. सहायक निदेशक प्रशिक्षण-4 उक्त स्कीम की कार्यवाही अपने स्तर पर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
7. सहायक निदेशक योजना। उनसे अनुरोध किया जाता है कि अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को APBS स्कीम के तहत छात्रवृत्ति की अदायगी करने हेतु सैन्ट्रल डी०डी०ओ०/नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक लेखा (मुख्यालय पर) को उनकी मांग अनुसार पूरे हरियाणा राज्य का बजट अलाट करने का कष्ट करें, ताकि छात्रवृत्ति की अदायगी करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
8. उप-निदेशक, यू.आई.डी./ए.आई, आर०ओ०, एस.सी.ओ. 139-41, सैक्टर -17 चण्डीगढ़।
9. सहायक निदेशक प्रशिक्षण-1/नोडल अधिकारी, वबैसाईट को विभागीय वबैसाईट पर डालने हेतु।
10. PA to DGIT

mpu
2/12/15

अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)
कृते: महानिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।